

## निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश

### सामान्य निर्देश

1. निर्वाचन पदाधिकारी अपने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारित समय-सारणी के अनुकूल शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु उत्तरदायी होंगे.
2. मतदान के दौरान अपने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर में शांति व्यवस्था के लिए स्थानीय प्रशासन से संपर्क स्थापित कर इसे सुनिश्चित करेंगे.
3. आप अपने महाविद्यालय में उप निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति करने के लिए सक्षम होंगे. उप निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति की सूचना नाम एवं मोबाइल नंबर के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को देंगे.
4. आप अपने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर में मतदान कर्मियों यथा पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारियों, कर्मियों इत्यादि की भी नियुक्ति करेंगे.
5. सभी आवश्यक प्रपत्र प्रारूप विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं जिनका प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जाना है.
6. पीठासीन पदाधिकारी अनिवार्य रूप से शिक्षक ही होंगे.

### नामांकन प्रक्रिया

7. नामांकन प्रपत्र की सूक्ष्मता से जांच करें. परिनियामानुसार प्रत्याशी बनाने के लिए प्रत्येक बिंदु एवं प्रपत्र सावधानी से जांचें.
8. यह ध्यान रखें कि यदि किसी ने पिछले चुनाव में किसी पदाधिकारी के पद पर चुनाव जीता था तो वो पुनः इस चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता.
9. यदि कोई विद्यार्थी स्नातक शिक्षा पूर्ण कर चुका है तो वह दोबारा स्नातक स्तर पर महाविद्यालय में नामांकन नहीं करा सकता (नाम नहीं लिखवा सकता).
10. नामांकन प्रपत्र अधिकतम तीन प्रतियों में भरा जायेगा. प्रत्येक प्रति में अलग-अलग प्रस्तावक एवं समर्थक होंगे. यदि कोई प्रत्याशी केवल एक सही भरा हुआ नामांकन प्रपत्र भी जमा करता है तो उसका नामांकन वैध है.
11. जिस तिथि को नामांकन निर्धारित है, उस तिथि को विशेष सुरक्षा व्यवस्था करेंगे.
12. नामांकन प्रपत्र का मूल्य १०० रुपये मात्र होगा.
13. मतदाता सूची के लिए आप १ रुपये प्रति A 4 पृष्ठ मूल्य ले सकते हैं.
14. आवेदक से भरा हुआ नामांकन प्रपत्र प्राप्त करने के बाद आप उसे प्राप्ति की रसीद देंगे.
15. नामांकन प्रपत्र की जांच के लिए समितियों का गठन कर लें.
16. यदि कोई नामांकन प्रपत्र अवैध पाया जाता है तो आवेदक को इसका कारण बताएं.
17. नामांकन प्रपत्र की जांच के पश्चात् समय-सारणी के अनुसार वैध प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित करें.

### चुनाव प्रचार

18. सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों द्वारा सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है.
19. चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशियों को निश्चित स्थान दें जहाँ प्रत्याशी अपने हाथ से लिखे हुए पोस्टर लगा सकें.

20. यह ध्यान रखें कि लिंगदोह समिति के निर्देशों के आलोक में ही चुनाव प्रचार हो.
21. आप अपने महाविद्यालय के शिकायत निवारण कोषांग द्वारा शिकायतों का निपटारा करें.
22. विश्वविद्यालय के शिकायत निवारण कोषांग में नीति सम्बंधित शिकायतों को ही अग्रसारित करें.

### मतदान के दिन

23. मतदान के दिन सभी मतदान कर्मियों का उपस्थित रहना सुनिश्चित करें.
24. आप के महाविद्यालय में सभी सी सी टी वी कैमरों को कार्यरत रहना चाहिए.
25. मतदान केंद्र ऐसे स्थानों पर बनायें जो सी सी टी वी कैमरों की परिधि में हों लेकिन यह ध्यान रहे कि इससे मतदान की गोपनीयता भंग न हो.
26. आवश्यकतानुसार विडियो रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था रखें.
27. बिजली आपूर्ति की समस्या से निपटने के लिए महाविद्यालय में यू पी एस बैक-अप/जेनरेटर की व्यवस्था रहनी चाहिए.
28. खाली मत पेटियों को प्रत्याशी अथवा उनके अधिकृत अभिकर्ता के सामने मतगणना के पूर्व दिखा कर उन सभी के हस्ताक्षरयुक्त सील से भली-भांति बंद करें.
29. आपके महाविद्यालय में बूथों की संख्या इतनी हो कि छात्रों को मतदान करने में असुविधा नहीं हो.
30. छात्रों तथा छात्राओं के लिए अलग-अलग पंक्तियों की सुविधा हो.
31. वही विद्यार्थी मतदान कर सकते हैं जिनके पास संस्थान का फोटोयुक्त पहचान पत्र हो.
32. दिव्यांग/अशक्त छात्रों को मतदान की प्राथमिकता मिलनी चाहिए.
33. विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रशासन का पूर्ण सहयोग लें.

### मतगणना

34. मतदान के दिन ही मतगणना प्रारंभ हो जानी है.
35. आवश्यकतानुसार मतगणना कर्मियों की नियुक्ति पहले से ही कर लें.
36. मतदान के बाद मतपेटियों को प्रत्याशी अथवा उनके अधिकृत अभिकर्ताओं के सामने खोलें.
37. मतगणना इस प्रकार हो कि प्रत्याशी अथवा उनके अधिकृत अभिकर्ता मतगणना की प्रक्रिया को आसानी से देख सकें.
38. यदि किसी मतदाता ने दो खानों के बीच में मुहर लगाई है तो वह मतपत्र अवैध होगा.
39. यदि मतदाता ने मतदान हेतु निर्दिष्ट खाने में मुहर नहीं लगाई है तो मतपत्र अवैध होगा.
40. यदि मतदाता ने मुहर नहीं लगाई है तो मतपत्र अवैध होगा.
41. यदि किसी मतदाता ने मतपत्र पर कोई निशान बनाया है अथवा कुछ लिखा है तो मतपत्र अवैध होगा.
42. प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो.
43. इसकी भी व्यवस्था करें कि प्रत्येक राउंड के पश्चात् प्रत्याशी को प्राप्त मतों की घोषणा हो जाये.
44. मतगणना पूरी हो जाने पर विजेता प्रत्याशियों को विजेता प्रमाण-पत्र दे दिए जाएँ.
45. चुनाव परिणाम चुनाव के लिए इंगित [suevbu2017@gmail.com](mailto:suevbu2017@gmail.com) ईमेल पर अविलम्ब चुनाव परिणाम की स्कैन कॉपी विश्वविद्यालय के मुख्य चुनाव अधिकारी को प्रेषित करें.
46. चुनाव परिणाम की हार्ड कॉपी जनवरी ११, २०१८ को मुख्य चुनाव अधिकारी को बिना चूके ३:०० बजे अपराहन तक समर्पित हो जानी चाहिए.

किसी कठिनाई अथवा शंका की अवस्था में मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ एस के सिन्हा से दूरभाष संख्या 9334271935/7209910900 पर संपर्क करें.

*Handwritten signature*  
23.12.17

*Handwritten signature*  
23/12/17  
(S.K. Sinha)  
CRO